



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220635
CG-DL-E-22072020-220635

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2125]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2020/आषाढ़ 31, 1942

No. 2125]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2020/ASADHA 31, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

का.आ.2410(अ).—भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 33/2020, फा.सं. 300196/39/2018-ITA-1 दिनांक 23.06.2020, जिसे का.आ 2014 (अ) के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के अंग्रेजी संस्करण में निम्नलिखित सुधार किये जाते हैं:—

क्रम संख्या	पैरा	के स्थान पर	पढ़ा जाये
1.	3	2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 और 2016-2017.	2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021
2.	व्याख्यात्मक ज्ञापन	2013-2014, 2014-	2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-

		2015, 2015-2016 और 2016-2017.	2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021
--	--	----------------------------------	---

[अधिसूचना सं. 53 /2020 फा.सं. 300196/39/2018-आईटीए-I]

प्रज्ञा पारमिता, निदेशक (आई टी ए -1)